स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

डीएफ़-1: लागू करने का क्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है जिस पर बेसल III फ्रेमवर्क लागू होता है। समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, इन सिद्धांतों में सांविधिक प्रावधान, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी वैधानिक प्रावधान लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट शामिल होते हैं।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) 31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए समेकन हेतु विचार की गई समूह संस्थाओं की सूची

एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं पर विचार किया गया है।

क्र. सं.	संस्था का नाम	निगमन का देश	क्या संस्था को लेखांकन समेकन के के लिए शामिल किया गया है (जी हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या संस्था को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत शामिल किया गया है (जी हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के दायरे में से केवल किसी एक मद के अंतर्गत समेकित किया गया है तो उसका कारण
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
2	एसबीआईकैप सिक्यूरिटीज लिमिटेड	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
3	एसबीआईकैप वेंचर्स लि. .	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
4	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
5	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई डीएफ़एचआई लि.	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्यूरिटीज सर्विसेस प्रा. लि.	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआई म्युचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.	मॉरिशस	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई कार्ड्स पेमेंट सर्विसेस लि.	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
15	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	यूएसए	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
16	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
17	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मॉस्को	रूस	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
18	एसबीआई (मॉरिशस) लि.	मॉरिशस	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	संस्था का नाम	निगमन का देश	क्या संस्था को लेखांकन समेकन के के लिए शामिल किया गया है (जी हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या संस्था को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत शामिल किया गया है (जी हाँ/ नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के दायरे में से केवल किसी एक मद के अंतर्गत समेकित किया गया है तो उसका कारण
19	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
20	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
21	नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लि.	नेपाल	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
22	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राज़ील	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.	यूके	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
25	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्रा. लि.	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुषंगी: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
26	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यम: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
27	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	जी हाँ	AS21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यम: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
28	सी-एड्ज टेक्नोलॉजीस लि.	भारत	जी हाँ	AS27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यम: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
29	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	जी हाँ	AS27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
30	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	जी हाँ	AS27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यम: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
31	मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लि.	सिंगापुर	जी हाँ	AS27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
32	मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बरमूडा	जी हाँ	AS27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
33	ओमान इंडिया जाइंट इनवेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	भारत	जी हाँ	AS27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
34	ओमान इंडिया जाइंट इनवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	जी हाँ	AS27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं

क्र. सं.	संस्था का नाम	निगमन का देश	क्या संस्था को लेखांकन समेकन के के लिए शामिल किया गया है (जी हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या संस्था को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत शामिल किया गया है (जी हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के दायरे में से केवल किसी एक मद के अंतर्गत समेकित किया गया है तो उसका कारण
35	जियो पेमेंट्स बैंक लि.	भारत	जी हाँ	AS27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
36	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
37	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
38	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
39	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
40	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
41	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
42	मिज़ोरम ग्रामीण बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
43	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
44	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
45	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
46	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं

क्र. सं.	संस्था का नाम	निगमन का देश	क्या संस्था को लेखांकन समेकन के के लिए शामिल किया गया है (जी हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या संस्था को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत शामिल किया गया है (जी हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के दायरे में से केवल किसी एक मद के अंतर्गत समेकित किया गया है तो उसका कारण
47	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
48	राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
49	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
50	द क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
51	यस बैंक लि.	भारत	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं
52	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	जी हाँ	AS23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक समेकन के दायरे में नहीं

ख. समूह की उन संस्थाओं की सूची जिन्हें 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार लेखांकन तथा विनियामक दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत समेकन पर विचार नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	निगमन का देश	क्या संस्था को लेखांकन समेकन के लिए शामिल किया गया है (जी हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या संस्था को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत शामिल किया गया है (जी हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	यदि समेकन के दायरे में से केवल किसी एक मद के अंतर्गत समेकित किया गया है तो उसका कारण
1	एसबीआई फाउंडेशन	भारत	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियाँ करने वाली एक गैर-लाभकारी कंपनी	82.22	99.72%	विनियामक पूंजी से कटौती की गई	82.48
2	एसबीआई होम फ़ाइनैंस लि.	भारत	परिसमापन के अधीन	लागू नहीं	25.05%		लागू नहीं

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ग. 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार विनियामक समेकन के लिए विचार की गई समूह संस्थाओं की सूची विनियामक समेकन दायरे के अंतर्गत समेकित की गई समूह संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	निगमन का देश	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के तुलनपत्र में उल्लेख किया गया है) $#	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसा कि विधिक संस्था के तुलनपत्र में उल्लेख किया गया है) #
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	मर्चेंट बैंकिंग और सलाहकार सेवाएँ	2,172.66	2,247.42
2	एसबीआईकैप सिक्यूरिटीज लि.	भारत	सिक्यूरिटीज ब्रोकिंग और संबद्ध सेवाएँ तथा वित्तीय उत्पादों का तृतीय-पक्ष वितरण	567.78	942.19
3	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	कॉर्पोरेट ट्रस्टीशिप गतिविधियाँ	131.52	138.56
4	एसबीआईकैप्स वेंचर्स लि.	भारत	वेंचर कैपिटल फंड के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनी	111.20	119.49
5	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	व्यवसाय और प्रबंधन सलाहाकर सेवाएँ	59.41	60.24
6	एसबीआई डीएफ़एचआई लि.	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलर	1,232.88	9,807.69
7	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएँ	34.92	35.02
8	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	फैक्टरिंग गतिविधियाँ	345.50	1317.13
9	एसबीआई पेंशन फंड प्रा. लि.	भारत	उन्हें आबंटित की गई एनपीएस ट्रस्ट की परिसंपत्तियों का प्रबंधन	44.14	45.70
10	एसबीआई पेमेंट्स सर्विसेस प्रा. लि.	भारत	भुगतान समाधान सेवाएँ	1,435.16	1,596.15
11	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएँ	2,403.23	2,573.31
12	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनैशनल) लि.	मॉरिशस	निवेश प्रबंधन सेवाएँ	1.00	2.57
13	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	भारत	क्रेडिट कार्ड व्यवसाय	5,799.43	26,815.50
14	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्यूरिटीस सर्विसेस प्रा. लि.	भारत	अभिरक्षा और फंड अकाउंटिंग सेवाएँ	287.24	1,183.26
15	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवा	1,085.28	6,484.90
16	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	बैंकिंग सेवा	937.40	7,604.08
17	कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	बैंकिंग सेवा	219.48	683.10
18	एसबीआई (मॉरिशस) लिमिटेड	मॉरिशस	बैंकिंग सेवा	1,100.69	6,926.68
19	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	बैंकिंग सेवा	736.99	2,760.29
20	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	बैंकिंग सेवा	969.20	8,781.55

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	निगमन का देश	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के तुलनपत्र में उल्लेख किया गया है) $#	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसा कि विधिक संस्था के तुलनपत्र में उल्लेख किया गया है) #
21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	बैंकिंग सेवा	2,461.04	17,750.59
22	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवा	75.69	81.44
23	स्टेट बैंक ऑफ सर्विकोज लिमिटाडा, ब्राजील	ब्राज़ील	प्रतिनिधि कार्यालय सेवाएँ	1.58	1.65
24	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	मर्चेंट बैंकिंग और सलाहकार सेवाएँ	15.66	16.63

$ इसमें इक्विटी पूंजी, आरक्षित निधि तथा अधिशेष शामिल हैं।

घरेलू संस्थाओं के मामले में IGAAP के अनुसार और विदेशी संस्थाओं के मामले में संबंधित स्थानीय विनियमों के अनुसार

(घ) सभी अनुषंगियों जिन्हें समेकन के विनियामक दायरे में शामिल नहीं किया गया है, की पूंजी की कमी की कुल राशि अर्थात जो घटा दी गई है:

अनुषंगियों का नाम/ निगमन का देश	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की होल्डिंग का %	पूंजी की कमी
निरंक				

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की कुल राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित है:

(₹ करोड़ में)

बीमा संस्था का नाम/निगमन का देश	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाज़ार मूल्य	आर डबल्यूए	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की होल्डिंग का %	जोखिम भार पद्धति की तुलना में पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग करने पर विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
भारतीय सामान्य बीमा निगम	3.94	358.35	157.25	-	बीमा	877.20	0.45%	किसी भी पद्धति के उपयोग से नगण्य प्रभाव
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.43	29.22	29.74	75.27	बीमा	2020.94	0.02%	किसी भी पद्धति के उपयोग से नगण्य प्रभाव
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.27	39.78	38.49	97.38	बीमा	454.59	0.06%	किसी भी पद्धति के उपयोग से नगण्य प्रभाव
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.08	50.67	48.17	121.93	बीमा	1435.96	0.08%	किसी भी पद्धति के उपयोग से नगण्य प्रभाव

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएँ

विदेशों में बैंकिंग अनुषंगियाँ

एसबीआई कैलिफोर्निया	विनियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूंजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका है लाभांश का भुगतान करना या शेयरों की पुनर्खरीद या मूल बैंक को पूंजी का प्रत्यावर्तन है।
एसबीआई कनाडा	किसी भी प्रकार की पूंजी (इक्विटी या ऋण) को मूल बैंक में अंतरित करने से पहले विनियामक (ओएसएफ़आई) से पूर्व अनुमति।
एसबीआई कनाडा	किसी भी प्रकार की पूंजी (इक्विटी या ऋण) को मूल बैंक में अंतरित करने से पहले विनियामक (ओएसएफ़आई) से पूर्व अनुमति।

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बैंक ऑफ बोत्सवाना की अनुमति के बाद ही बैंकिंग समूह/समूह कंपनी के भीतर विनियामक पूंजी के अंतरण की अनुमति है। उसी तारीख को बैंक द्वारा रखी गई पूंजी के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
एसबीआई मॉरिशस लि.	मूल बैंक सहित शेयरधारकों को पैसा वापिस देकर बैंक की पूंजी में कमी लाने पर विनियामक प्रतिबंध हैं। पूंजी में कोई भी कमी या तो लाभांश के भुगतान से या मॉरिशस के बैंकिंग अधिनियम तथा कंपनी अधिनियम में वर्णित पूंजी में कमी के द्वारा की जा सकती है। भुगतान की जाने वाली राशि विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार एसबीआईएमएल द्वारा पर्याप्त पूंजी और तरलता अनुपात बनाए रखने के अधीन है। (ए) जब तक बैंक मॉरिशस में निर्दिष्ट पूंजी के रूप में भुगतान की गई राशि या समनुदेशित पूंजी की राशि या कम से कम 40.0 करोड़ रुपये की राशि नहीं रखता तब तक न तो केंद्रीय बैंक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करेगा और न ही कोई बैंक तब तक बैंकिंग लाइसेंस रखेगा। (बी) प्रत्येक बैंक कम से कम 10 प्रतिशत पूंजी, या जोखिम आस्तियों तथा अन्य प्रकार के जोखिमों के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतर अनुपात में पूंजी मॉरिशस में बनाए रखेगा।
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	बुक II बैंक के साथ-साथ विदेशी मुद्रा बैंक के रूप में काम करने में सक्षम होने के लिए बैंक को न्यूनतम विनियामक पूंजी रखनी होगी। हालांकि, पर्याप्त लाभ अर्जित करने के बाद मूल बैंक को लाभांश के रूप में निधियों के अंतरण की अनुमति है।
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल के कानूनों के अंतर्गत कंपनी की आस्तियाँ व देनदारियां विशिष्ट एवं गैर-अंतरणीय होती हैं। अत:, बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी का अंतरण संभव नहीं है।
सीआईबीएल	बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा नहीं है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	विविनियामक न्यूनतम पूंजी से अधिक पूंजी का भुगतान एसबीआई यूके बोर्ड और पीआरए के अनुमोदन से मूल कंपनी को (लाभांश या कम पूंजी के माध्यम से) किया जा सकता है। यह एसबीआई यूके लिमिटेड की अनुमानित विकास योजनाओं तथा उनकी पूंजी आवश्यकताओं पर आधारित होगा।

गैर-बैंकिंग अनुषंगी कंपनियाँ

अनुषंगियाँ	**प्रतिबंध**
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लि.	विनियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूंजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका है बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 के अनुसार लाभांश का भुगतान करना।
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	जैसा कि कंपनी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है कंपनी 1.7 का सॉल्वेंसी अनुपात हमेशा बनाए रखेगी। यदि इस सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो पूंजी अंतरण की अनुमति नहीं होगी।
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस लि.	कंपनी अधिनियम, सेबी तथा आरबीआई विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, एसबीआई कार्ड शेयर के बाईबैक के माध्यम से ही एसबीआई को शेयर पूंजी लौटा सकता है।
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	लाभांश, पूंजी परिवर्तन, शेयर बाई-बैक, जारी करने या आबंटन आदि के संदर्भ में कंपनी की किसी भी कार्रवाई को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त उद्यम समझौते में शामिल किया गया है। संयुक्त उद्यम समझौते में प्रावधान है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए कम से कम अमुंडी के एक एसोसिएट निदेशक तथा एसबीआई के बोर्ड के सदस्य के सकारात्मक वोट की आवश्यकता होगी। कंपनी अधिनियम के संदर्भ में भी बोर्ड और शेयरधारकों का अनुमोदन एक पूर्व-शर्त है।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	एसबीआईकैप से मूल कंपनी एसबीआई को पूंजी का अंतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: 1. (ए) सेबी मर्चेन्ट बैंकर्स विनियम 1992 के अनुसार, श्रेणी I के मर्चेन्ट बैंकर के लिए कम से कम ₹ 5 करोड़ की निवल मालियत होना आवश्यक है। इसके साथ ही यदि निधियों के अंतरण से नियंत्रण में परिवर्तन होता है तो सेबी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। (बी) सेबी (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 के अनुसार, किसी शोध विश्लेषक जो कॉरपोरेट निकाय है, के लिए 25 लाख रुपये की निवल मालियत की आवश्यकता है। इसके साथ ही यदि निधियों के अंतरण से नियंत्रण में परिवर्तन होता है तो सेबी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। 2. एसबीआईकैप के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 60 में प्रावधान है कि इन धाराओं में शामिल होने के बावजूद, किंतु अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य कानून के लागू प्रावधानों के अधीन, कंपनी अपने स्वयं के शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ खरीद सकती है। 3. न्यूनतम सीएआर 15.00% बनाए रखने के लिए एसबीआईकैप की अपनी आंतरिक जोखिम नीति है। बेशक, उपरोक्त सब कुछ एसबीआईकैप बोर्ड के अनुमोदन के अधीन होगा।

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लि.	विनियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूंजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका लाभांश का भुगतान या शेयर बाईबैक है। मूल कंपनी सहित शेयरधारकों को वापस की जाने वाली कंपनी की पूंजी कम करने के संबंध में विनियामक प्रतिबंध हैं। पूंजी में किसी भी प्रकार की कमी या तो लाभांश का भुगतान करके या आरबीआई दिशानिदेश तथा कंपनी अधिनियम में प्रावधान की गई निर्धारित पूंजी में कमी करके की जा सकती है। राशि का भुगतान पर्याप्त पूंजी बनाए रखने तथा तरलता अनुपात बनाए रखने की विनियामक आवश्यकताओं के अधीन होगा। ए. कोई कंपनी एनबीएफसी-फैक्टर्स लाइसेंस तब तक नहीं रख सकती, जब तक कि वह निवल मालियत निधि के रूप में भुगतान की गई राशि नहीं रखती है तथा बनाए नहीं रखती है। बी. प्रत्येक एनबीएफ़सी तुलन पत्र में अपनी कुल जोखिम भारित आस्तियों (टियर 1 तथा टियर 2 पूंजी, टियर 1 पूंजी 10% से कम नहीं होगी) तथा ऑफ-बैलेंस शीट मदों के जोखिम समायोजित मूल्य की कम से कम 15% या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित उच्च अनुपात पर पूंजी बनाए रखेगी। सी. एनबीएफ़सी-फ़ैक्टर्स के रूप में रजिस्टर्ड प्रत्येक कंपनी फ़ैक्टरिंग विनियम अधिनियम, 2011 की आवश्यकताओं के अनुसार कम से कम 5 करोड़ रुपए की निवल मालियत निधि (एनओएफ़) बनाए रखेगी। डी. शेयरों के बाई-बैक या लाभांश के रूप में वितरण के माध्यम से पूंजी के अंतरण के संबंध में कंपनी अधिनियम में कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। कंपनी के 'संस्था के अंतर्नियम' में निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं हैं। विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूंजी होने पर, बोर्ड तथा विनियामक के अनुमोदन से मूल (लाभांश या पूंजी कम करके) पैसा मूल संस्था को वापिस भुगतान किया जा सकता है। यह अनुमानित विकास योजनाओं और उनकी पूंजी आवश्यकताओं पर आधारित होगा।
एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्यूरिटीस सर्विसेस लि.	पूंजी का अंतरण सेबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक निवल मालियत 500 मिलियन रुपए बनाए रखने के अधीन होगा। इसके अलावा बोर्ड के अनुसार कंपनी को परिचालन जोखिम के लिए (31.03.21 को) 100 मिलियन रुपए का पूंजी प्रभार बनाए रखना आवश्यक है, परिचालन जोखिम की गणना बेसल II के मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार की जाएगी। इक्विटी में परिवर्तन करते हुए, नए शेयरों के निर्गम (राइट आधार पर या बाद के प्लेसमेंट में जारी किए गए शेयरों के अलावा), ऑप्शन या वारंट सृजन, शेयरों की नई श्रेणी सृजित कर, बाईबैक/ मोचन / पुनर्खरीद, विभाजन, परिवर्तनीय डेब्ट जारी करके, बोनस, लिएन या भार या ऋण पुनर्गठन करके अंतरण किया जा सकता है, जिसमें जो पार्टियों और/या इक्विटी शेयरधारकों के रूप में उनके अधिकारों और कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए गैर-विलयनीय होगा।
एसबीआई डीएफ़एचआई लि.	लाभांश या शेयरों के बाईबैक माध्यम से पूंजी को मूल बैंक में अंतरित किया जा सकता है। इस संबंध में स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) के लिए आरबीआई के निदेश निम्नानुसार हैं: • शेयरधारिता पैटर्न/ एसपीडी की पूंजी संरचना में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए आरबीआई के पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता होगी। • एसपीडी को निरंतर आधार पर जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए न्यूनतम पूंजी 15 प्रतिशत बनाए रखना आवश्यक है। लाभांश वितरण की घोषणा करते समय एसपीडी निम्नलिखित दिशानिदेशों का पालन करेंगे: • एसपीडी ने सांविधिक आरक्षित निधि में लाभ के अंतरण विनियमों और प्रतिभूतियों के प्रावधानीकरण एवं मूल्यांकन से संबंधित विनियामक दिशानिदेशों इत्यादि का पालन कर लिया हो। • पिछली चार तिमाहियों में से किसी भी तिमाही में न्यूनतम 15 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाला एसपीडी कोई लाभांश घोषित नहीं करेगा। पिछले वर्ष की चारों तिमाहियों के दौरान विनियामक न्यूनतम 15 प्रतिशत या उससे अधिक सीआरएआर रखने वाले एसपीडी का सीआरएआर यदि विगत वर्ष की किसी तिमाही में 20 प्रतिशत से कम रहा हो तो लाभांश भुगतान अनुपात (डीपीआर) 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। पिछले वर्ष की सभी चार तिमाहियों के दौरान 20 प्रतिशत या उससे अधिक सीआरएआर वाले एसपीडी का डीपीआर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। डीपीआर की गणना वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ के प्रति वर्ष में देय लाभांश के प्रतिशत के रूप में की जाएगी (लाभांश कर को छोड़कर)। • प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से देय होगा। यदि संबद्ध अवधि के लाभ में कोई असाधारण आय शामिल है, तो पे-आउट अनुपात की गणना विवेकशील पे-आउट अनुपात की उच्चतम सीमा की गणना के लिए ऐसी असाधारण मदों को घटाने के बाद की जाएगी। • जिस वित्त वर्ष के लिए एसपीडी लाभांश की घोषणा कर रहा है उस वित्त वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उस वर्ष के दौरान लाभ पर पड़ता हो, उससे मुक्त होगा। इस प्रकार की किसी भी शर्त के मामले में, डीपीआर की गणना करते समय शुद्ध लाभ को उपयुक्त रूप से कम करके समायोजित किया जाएगा। • यदि एसपीडी द्वारा दिशानिदेशों का कड़ाई से पालन न कर पाने का कोई विशेष कारण या कठिनाई हो तो वह इस संबंध में उचित तदर्थ व्यवस्था के लिए पहले से आरबीआई से संपर्क करेगा।

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	लाभांश या बाईबैक शेयरों या मूल बैंक को पूंजी प्रत्यावर्तन के माध्यम से मूल बैंक को पूंजी के अंतरण के लिए पीएफआरडीए/ कंपनी अधिनियम, 2013 में कोई विनियामक प्रतिबंध नहीं हैं। एकमात्र मानदंड यह है कंपनी न्यूनतम निवल मालियत 25/50 करोड़ रुपये बनाए रखे तथा पेंशन फंड के न्यूनतम पात्रता मानदंड अर्थात विनियम 8 (डी) को पूरा करे कि प्रायोजक को पिछले पांच में से कम से कम तीन वर्षों में कर पश्चात लाभ हुआ हो तथा वित्त वर्ष से पिछले पांच वर्षों में कोई नकदी हानि न ही हो। इसके अलावा, विनियम जे के अनुसार, पेंशन फंड के प्रायोजक के प्रबंधन, स्वामित्व, शेयरधारिता पैटर्न या नियंत्रण हित में कोई भी परिवर्तन, प्रायोजक या पेंशन फंड की प्रदत्त पूंजी एक वित्त वर्ष में एक प्रतिशत से अधिक है, किंतु पांच प्रतिशत से कम है तो ऐसे परिवर्तन की सूचना ऐसा होने के पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को दी जाएगी। शर्त यह है कि किसी वित्तीय वर्ष में प्रायोजक या पेंशन निधि की प्रदत्त पूंजी में पांच प्रतिशत या अधिक का कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जा सकेगा। पूंजी का भुगतान मूल संस्था को बोर्ड तथा शेयरधारकों की मंजूरी तथा पीएफआरडीए विनियम एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को पूरा करने के बाद किया जा सकता है।
जियो पेमेंट्स बैंक लि.	अभिदान एवं शेयरधारक करार के 'लॉक-इन' खंड का उल्लेख नीचे किया गया है: (खंड 22.1.2) "खंड 22.2 (सहयोगी कंपनियों को अंतरण) के अधीन, एसबीआई अपने किसी भी शेयर या किसी भी शेयर में किसी भी हित को "पेमेंट बैंक" के लिए अंतिम लाइसेंस जारी करने के लिए आरबीआई को आवेदन करने की तारीख से पाँच वर्ष पूरा होने से पहले या खंड 7.5.2 (व्यवसाय की शुरुआत), खंड 7.8.1 (व्यवसाय का विकास), 10.4.2 (व्यवसाय आयोजना गतिरोध) तथा खंड 22.3 (तीसरे पक्ष को अंतरण) व खंड 23.7.2 (ii) (समझौते के अन्य उल्लंघन) ("एसबीआई लॉक-इन अवधि")" के अंतर्गत अपेक्षानुसार आरबीआई को किए गए आवेदन पर आरबीआई द्वारा अनुमत अन्य तारीख से पहले नहीं किया जाएगा"।

डीएफ़-2 - पूंजी पर्याप्तता

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ए) वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों हेतु अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन

- बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियाँ, आरबीआई के नए पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) दिशानिदेशों के अनुरूप वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) अपनाती हैं। इस आईसीएएपी में पूंजी आयोजना प्रक्रिया का विवरण दिया जाता है और निम्नलिखित जोखिमों के मापन, मॉनिटरिंग, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी आवश्यकता तथा तनाव परीक्षण को कवर करते हुए मूल्यांकन किया जाता है:

» ऋण जोखिम	» बाज़ार जोखिम
» परिचालन जोखिम	» ऋण संकेन्द्रण जोखिम
» चलनिधि जोखिम	» बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
» अनुपालन जोखिम	» देश जोखिम
» पेंशन फंड दायित्व जोखिम	» कार्यनीतिक जोखिम
» प्रतिष्ठा जोखिम	» मॉडल जोखिम
» ऋण जोखिम न्यूनीकरण से शेष जोखिम	» संक्रामक (कोन्टाजिन) जोखिम
» प्रतिभा जोखिम	» साइबर जोखिम
» उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जोखिम	» अंडरराइटिंग जोखिम

- एसबीआई द्वारा अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में अनुमानित निवेश तथा एसबीआई एवं उसकी अनुषंगियों (देशी/विदेशी) के अग्रिमों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 3 से 5 वर्षों की मध्यम अवधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) में घटोतरी या बढ़ोतरी पर संवेदनशीलता विश्लेषण वार्षिक या आवश्यकतानुसार अधिक बार किया जाता है। यह विश्लेषण एसबीआई और एसबीआई ग्रुप के लिए अलग-अलग किया जाता है।
- 3 से 5 वर्षों की मध्यम अवधि में बैंक तथा समग्र समूह का सीआरएआर विनियामक सीएआर से काफी अधिक रहने की संभावना है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने के लिए, आवश्यकता होने पर इक्विटी के अतिरिक्त अधीनस्थ ऋण, स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस), मोचनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस), मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस), स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) तथा स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) के विकल्प बैंक के पास उपलब्ध हैं।

- विदेशी अनुषंगियों के लिए कार्यनीतिक पूंजी आयोजना में आस्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी निर्धारण तथा विभिन्न स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं एवं विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक पूंजी आकलन शामिल है। आस्तियों के बढ़े हुए स्तर का समर्थन करने तथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) को बनाए रखने के लिए सीईटी 1 / एटी 1 / टियर 2 पूंजी जुटाने के लिए एकल अनुषंगी की क्षमता के बारे में संतुष्ट हो जाने के बाद मूल बैंक द्वारा संवृद्धि आयोजना को अनुमोदित किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ:	
	• मानकीकृत दृष्टिकोण अनुसार पोर्टफोलियो	₹1,66,252.02 करोड़
	• प्रतिभूतिकरण एक्स्पोज़र	शून्य
		कुल ₹1,66,252.02 करोड़
(ग)	बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ:	
	• मानक अवधि दृष्टिकोण;	
	» ब्याज दर जोखिम	₹13,789.64 करोड़
	» विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	₹171.23 करोड़
	» इक्विटी जोखिम	₹7,514.91 करोड़
		कुल ₹21,475.78 करोड़
(घ)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ:	
	• बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण	₹21,366.36 करोड़
	• मानक दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
		कुल ₹21,366.36 करोड़

(ङ) सामान्य इक्विटी टियर1, टियर1 तथा कुल पूंजी अनुपात:
- शीर्ष समेकित समूह के लिए; तथा
- महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों के लिए (फ्रेमवर्क के प्रकार को लागू करने के आधार पर एकल या उप-समेकित)

31.03.2021 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात

	सीईटी 1 (%)	टीयर 1 (%)	कुल (%)
एसबीआई समूह	10.33	11.70	13.97
भारतीय स्टेट बैंक	10.02	11.44	13.74
एसबीआई (मॉरिशस) लि.	19.54	19.54	20.44
भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	13.97	13.97	15.70
भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	15.28	15.28	16.45
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	56.31	56.31	56.31
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	45.20	45.20	46.21
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	13.34	13.34	16.28
बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	58.53	58.53	58.76
एसबीआई (यूके) लि.	17.78	17.78	18.09

डीएफ़-3:ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

सामान्य प्रकटीकरण

(ए) **गुणात्मक प्रकटीकरण**

- **पिछले बाकायों और ह्रासित आस्तियों की परिभाषा (लेखांकन उद्देश्य से)**

अलाभकारी आस्तियाँ

जब कोई आस्ति बैंक के लिए आय अर्जन करना बंद कर देती है, तो वह अलाभकारी आस्ति बन जाती है। 31 मार्च 2006 से उस अग्रिम को अलाभकारी आस्ति (एनपीए) माना जाता है जो

(i) सावधि ऋण के मामले में ब्याज और/या यदि मूल राशि की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।

(ii) ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) खाता यदि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है।

(iii) खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है।

(iv) अन्य खातों के मामले में यदि प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।

(v) अल्प-अवधि फसलों के लिए दिए गए ऋण को तब एनपीए माना जाता है जब मूल राशि या ब्याज की किस्त दो फसली मौसमों तक अतिदेय रहती है तथा दीर्घ-अवधि फसलों के लिए दिए गए ऋण को तब एनपीए माना जाता है जब मूल राशि की किस्त या ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है।

(vi) किसी खाते को तब एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब किसी तिमाही के दौरान लगाए गए ब्याज का भुगतान तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से न किया गया हो।

(vii) प्रतिभूतिकरण पर 1 फरवरी, 2006 के आरबीआई के दिशानिदेशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में, यदि चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक तक बकाया हो।

(viii) डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में, डेरिवेटिव संविदा के बाजार मूल्य में सकारात्मक चिह्न वाले अतिदेय प्राप्य राशियां, यदि निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए अप्रदत्त हैं।

'अनियमित' स्थिति

यदि किसी खाते में बकाया राशि लगातार संस्वीकृत/आहरण सीमा से अधिक रहती है तो उस खाते को 'अनियमित' माना जाता है।

ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है, लेकिन बैंक के तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 दिनों से कोई क्रेडिट नहीं प्राप्त नहीं हुआ है, या इसी अवधि के दौरान खाते में क्रेडिट खाते से डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो ऐसे खातों को 'अनियमित' माना जाता है।

'अतिदेय'

किसी भी क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय किसी भी राशि की चुकौती यदि बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर नहीं की जाती तो उसे 'अतिदेय' माना जाता है।

- **तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान**

तनाव की प्रारंभिक पहचान एवं रिपोर्टिंग:

निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार चूक* होने की स्थिति में विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) के रूप में तनावग्रस्त आस्तियों को वर्गीकृत करके ऋण खातों में प्रारंभिक तनाव की पहचान:

एसएमए- उप श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार- यदि मूल राशि या ब्याज या अन्य कोई राशि पूर्ण या आंशिक रूप से इस अवधि के बीच अतिदेय हो
एसएमए -0	1-30 दिन
एसएमए -1	31-60 दिन
एसएमए -2	61-90 दिन

चूक* का अर्थ है जब पूरी ऋण राशि या उसका कोई भाग या किस्त देय एवं बकाया हो गई हो तथा ऋणकर्ता या कॉर्पोरेट ऋणकर्ता द्वारा उसकी चुकौती न की गई हो। नकदी ऋण जैसी परिक्रामी ऋण सुविधाओं के मामले में उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चूक का अर्थ यह भी होगा कि बकाया राशि 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत सीमा या आहरण अधिकार, जो भी कम हो, से लगातार अधिक बनी हुई है।

- **बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा**

बैंक में एक एकीकृत ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। वर्ष दर वर्ष, इस संबंध में नए उभरती अवधारणाओं और वास्तविक अनुभव के आधार पर नीति और कार्य प्रणालियों में सुधार किया जाता रहा है। नीति तथा कार्य प्रणालियों को बेसल-II एवं आरबीआई दिशानिदेशों में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप ढाला गया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन में एक्सपोजर में ऋण जोखिम की पहचान, आकलन, मापन, मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण शामिल हैं।

ऋण जोखिम की पहचान और आकलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:

(i) व्यापक रूप से वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा प्रबंधन जोखिमों में वर्गीकृत विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष जोखिम का आकलन करने के लिए ऋण जोखिम आकलन (सीआरए) मॉडल/ स्कोरिंग मॉडल विकसित और परिष्कृत करना, प्रत्येक जोखिम को अलग-अलग स्कोर दिया जाता है।

(ii) समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य दृष्टिकोण पर परामर्श जारी करके, बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों में पोर्टफोलियो को हैंडल करने के लिए विशिष्ट नीतिगत सुझाव देने व मात्रात्मक एक्सपोजर मानदंड निर्धारित करने के लिए औद्योगिक शोध करना।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम घटकों जैसे चूक की संभावना (पीडी), चूक से हुई हानि (एलजीडी) तथा चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) की गणना की जाती है।

ऋण जोखिम की मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण में एकल ऋणकर्ता, समूह ऋणकर्ता तथा उद्योग जैसे क्षेत्रों में एक अच्छा विविधपूर्ण पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित करना शामिल है। बेहतर जोखिम प्रबंधन तथा ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, एकल कंपनियों, समूह कंपनियों, बैंकों, व्यक्तिगत ऋणकर्ताओं, गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं, पूंजी बाजार, भू-संपदा, संवेदनशील पण्यों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदंडों पर आंतरिक दिशानिदेश विद्यमान हैं। जहाँ भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए छमाही अंतराल पर ऋण जोखिम तनाव परीक्षण किए जाते हैं।

बैंक में ऋण नीति विद्यमान है, जिसका उद्देश्य लचीलेपन और नवोन्मेष के लिए पर्याप्त गुंजाइश रखते हुए क्रेडिट की मूल बातों, मूल्यांकन कौशल, प्रलेखन मानकों तथा संस्थागत चिंताओं एवं कार्यनीतियों के बारे में जागरूकता के संबंध में एक समान दृष्टिकोण विकसित कर पोर्टफोलियो स्तर पर परिसंपत्तियों की समग्र गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखन, रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग, ऋण सुविधाओं की समीक्षा एवं नवीनीकरण, समस्या ऋणों का प्रबंधन, ऋण मॉनिटरिंग इत्यादि के संबंध में बैंक की प्रक्रियाएँ और नियंत्रण विद्यमान हैं। ₹ 20 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के एक्सपोजर वाले ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में निरंतर सुधार प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक में ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली भी विद्यमान है।

ऋण लेखापरीक्षा में विभिन्न स्तरों पर लिए गए ऋण संस्वीकृति निर्णयों की परीक्षा की जाती है। ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली के एक भाग के रूप में ऋण पूर्व-स्वीकृति प्रक्रिया तथा संस्वीकृति पश्चात प्रक्रिया दोनों की जाँच की जाती है। ऋण लेखापरीक्षा में पहचाने गए जोखिमों की भी जांच करता है तथा जोखिम न्यूनीकरण के उपाय सुझाए जाते हैं।

डीएफ़-3: 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार मात्रात्मक प्रकटीकरण

सामान्य प्रकटीकरण :			(₹ करोड़ में)
मात्रात्मक प्रकटीकरण	**निधि आधारित**	**गैर-निधि आधारित**	**कुल**
बी. कुल सकल ऋण जोखिम एक्स्पोज़र	2591605.54	471140.72	3062746.26
सी. एक्स्पोज़र का भौगोलिक संवितरण: निधि आधारित/गैर निधि आधारित			
विदेश में	375153.85	63425.29	438579.14
देश में	2216451.69	407715.43	2624167.12
डी. उद्योग-प्रकार एक्सपोजर संवितरण निधि आधारित/गैर निधि आधारित अलग-अलग	कृपया टेबल "ए" देखें		
ई . आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता ब्रेकडाउन	कृपया टेबल "बी" देखें		
f. एनपीए की राशि (सकल) अर्थात (i से v) का योग			128168.54
i. मानक			20152.60
ii संदिग्ध 1			31628.02
iii. संदिग्ध 2			26732.43
iv. संदिग्ध 3			24486.76
v. हानि			25168.73
जी. निवल एनपीए			37119.10
एच. एनपीए अनुपात			
i. सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए			4.95%
ii. निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए			1.48%
आई. एनपीए (सकल) में वृद्धि/कमी			
i. प्रारंभिक शेष			150130.72
ii. वृद्धि			30717.40
iii. कमी			52679.58
iv. अंतिम शेष			128168.54
जे. एनपीए के लिए प्रावधानों में वृद्धि/कमी			
i) प्रारंभिक शेष			98004.01
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			29241.85
iii) अपलेखन/ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			36196.42
iv) अंतिम शेष			91049.44
के. अनर्जक निवेशों की राशि			5474.38
एल. अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधान की राशि			4706.83
एम. निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान वृद्धि/कमी			
आरंभिक शेष			9580.95
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			4615.48
अपलेखन			3404.63
अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			1593.55
अंतिम शेष			9198.25

एन.	प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार द्वारा	
	एनपीए की राशि और यदि उपलब्ध हो, तो पिछले देय ऋण, अलग से प्रावधान किए गए	63683.09
	निर्दिष्ट एवं सामान्य प्रावधान; तथा	-
	वर्तमान अवधि के दौरान विशिष्ट प्रावधान और अपलेखन	-
ओ.	एनपीए की राशि तथा पिछले बकाया देय ऋणों के लिए निर्दिष्ट एवं सामान्य प्रावधानों सहित महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रवार अलग से प्रावधान किए गए	-
	प्रावधान	-

टेबल-ए: डीएफ़-3(घ) 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार उद्योग-प्रकार के एक्सपोजर का संवितरण

(₹ करोड़ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित [शेष राशियाँ]			गैर-निधि आधारित (शेष राशियाँ)
		मानक	एनपीए	कुल	
1	कोयला	8131.50	701.79	8833.29	5612.45
2	खनन	6019.31	139.60	6158.91	1641.72
3	लोहा और इस्पात	59824.70	3215.94	63040.64	38985.90
4	धातु उत्पाद	36557.97	1176.44	37734.41	9962.72
5	सभी इंजीनियरिंग	33255.27	4994.74	38250.01	72079.91
5.1	इनमें से इलेक्ट्रानिक	4150.56	98.49	4249.05	6492.56
6	बिजली	5415.98	0.00	5415.98	0.00
7	सूती वस्त्र	22180.05	1792.10	23972.15	1451.87
8	जूट टेक्सटाइल्स	997.90	49.23	1047.13	42.15
9	अन्य वस्त्र	11589.37	1635.79	13225.16	2831.00
10	चीनी	5850.94	566.02	6416.96	962.06
11	चाय	828.98	82.68	911.66	44.58
12	खाद्य प्रसंस्करण	83494.03	5215.16	88709.19	3010.52
13	वनस्पति तेल और वनस्पति	5131.54	590.99	5722.53	2950.86
14	तंबाकू/तंबाकू उत्पाद	162.15	17.49	179.64	192.08
15	कागज़/कागज़ उत्पाद	5046.68	634.69	5681.37	1015.62
16	रबड़/रबड़ उत्पाद	7550.64	903.94	8454.58	2042.90
17	रसायन/रंग/पेंट इत्यादि	83261.39	3202.67	86464.06	57375.42
17.1	इनमें से उर्वरक	17024.17	1015.50	18039.67	7503.33
17.2	इनमें से पेट्रोकैमिकल्स	42891.81	146.11	43037.92	38445.74
17.3	इनमें से दवा व फार्मा	11992.73	627.17	12619.90	2379.99
18	सीमेंट	11719.63	754.90	12474.53	4289.38
19	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	3063.77	381.42	3445.19	376.54
20	रत्न एवं आभूषण	11979.86	532.75	12512.61	1098.87
21	विनिर्माण	45623.80	1331.58	46955.38	16247.42
22	पेट्रोलियम	44073.69	342.68	44416.37	24784.78
23	आटोमोबाइल्स व ट्रक	16298.32	911.67	17210.00	8397.26
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	6779.93	4.70	6784.63	1611.85
25	आधारभूत ढाँचा	327512.30	31999.85	359512.15	92979.33
25.1	इनमें से बिजली	179004.07	12436.73	191440.80	32604.46
25.2	इनमें से दूरसंचार	21929.49	5914.26	27843.75	14548.54
25.3	इनमें से सड़क व बंदरगाह	79310.86	7248.57	86559.43	19832.89
26	अन्य उद्योग	200414.42	33035.25	233449.67	33386.55
27	एनबीएफ़सी एवं ट्रेडिंग	361934.88	18411.71	380346.58	52323.83
28	अवशिष्ट अग्रिम	1058738.00	15542.76	1074280.76	35443.15
	कुल	**2463437.00**	**128168.54**	**2591605.54**	**471140.72**

टेबल-बी

डीएफ़-3 (ई) एसबीआई (समेकित) 31.03.2021* की स्थिति के अनुसार आस्तियों की शेष संविदागत परिपक्वता का विवरण

(`करोड़ में))

	अंत:प्रवाह	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1	नकदी	23598.56	3.29	0.00	2.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02	23627.09
2	आरबीआई के पास जमा शेष	62832.73	2756.14	1263.32	2016.48	2323.35	1732.80	5129.08	30509.76	28253.15	13376.96	39618.61	189812.38
3	अन्य बैंकों के पास जमा शेष	76285.29	49038.23	444.84	733.22	838.30	934.71	2602.32	3945.74	3832.81	22.62	70.62	138748.70
4	निवेश	8405.02	878.84	16407.50	7794.45	10398.79	28797.20	52797.44	100994.96	336561.13	227375.94	585233.27	1375644.55
5	अग्रिम	45083.24	17039.40	19280.77	42041.74	49861.36	39755.67	123530.07	204529.89	882447.88	327001.00	758199.46	2508770.48
6	अचल आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.03	14.72	21.38	39132.00	39168.13
7	अन्य आस्तियाँ	22282.07	52940.44	55240.28	19663.21	17506.43	14874.54	23230.28	35430.24	17083.64	24967.59	71759.75	354978.47
	कुल	238486.91	122656.34	92636.70	72251.10	80930.24	86097.15	207289.18	375410.63	1268193.33	592765.48	1494032.73	4630749.80

*नोट्स:

i) बीमा संस्थाएं, गैर-वित्तीय संस्थाएं, संयुक्त उद्यम, विशेष प्रयोजन माध्यम तथा अंत:-समूह समायोजन को शामिल नहीं किया गया है।

ii) निवेश में अनर्जक निवेश शामिल हैं तथा अग्रिमों में अनर्जक अग्रिम शामिल हैं।

iii) 23 मार्च 2016 के आरबीआई दिशानिदेशों के आधार पर बकेटिंग संरचना को संशोधित किया गया है।

डीएफ़ -4: ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- **पिछले बकाया तथा खराब आस्तियों की परिभाषा (लेखांकन के उद्देश्य से)**

  (क) आरबीआई के दिशानिदेशों के अनुसार, देश और विदेश में एक्सपोजर की रेटिंग के उद्देश्य से बैंक ने क्रमश: केयर, क्रिसिल, इक्रा, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एक्यूट रेटिंग व रिसर्च तथा इन्फोमेरिक्स (देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों) और फिच, मूडीज और एसएंडपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) की पहचान अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में की है। इनकी रेटिंग का उपयोग जोखिम-भारित आस्तियों तथा पूंजीगत भार की गणना लिए किया जाता है।

- **एक्सपोजर का प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है**

  (i) एक वर्ष या उससे कम अवधि की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोजर के लिए (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा अन्य परिक्रामी ऋण को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

  (ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा अन्य परिक्रामी क्रेडिट के लिए (अवधि चाहे कुछ भी हो) तथा 1 वर्ष से अधिक अवधि के सावधि एक्सपोजर के लिए, दीर्घ-कालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

- **पब्लिक इश्यू रेटिंग को बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों के रूप में अंतरित करने हेतु उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण**

  बैंक द्वारा बाह्य रेटिंग संरचना के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

  - क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से बैंक के दीर्घावधि तथा लघु अवधि एक्सपोजर को दी गई सभी दीर्घकालिक और अल्पकालिक रेटिंग को बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के लिए विशिष्ट रेटिंग के रूप में माना जाता है।
  - विदेशी राष्ट्रीय तथा विदेशी बैंक एक्सपोजर, उन्हें दी गई जारीकर्ता रेटिंग के आधार पर जोखिम-भारित होते हैं।
  - बैंक सुनिश्चित करता है कि सुविधा/ऋणकर्ता की बाह्य रेटिंग की समीक्षा विगत 15 माह में कम से कम एक बार ईसीएआई द्वारा की गई है तथा उपयोग करने की तारीख को यह मान्य है।
  - जब विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किसी इकाई को अनेक जारीकर्ताओं द्वारा रेटिंग दी गई हो, जहाँ दो रेटिंग हों वहाँ निम्नतर रेटिंग तथा जहाँ तीन या अधिक रेटिंग दी गई हों, वहाँ दूसरी सबसे कम रेटिंग का उपयोग निर्धारित सुविधा के लिए किया जाता है।

दीर्घावधि इश्यू विशिष्ट रेटिंग (बैंक के अपने एक्सपोजर या उसी ऋणकर्ता ग्राहक/प्रतिपक्ष द्वारा जारी अन्य ऋण के लिए) या जारीकर्ता (उधारकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग का उपयोग उसी ऋणकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य गैर-रेटेड एक्सपोजर के लिए निम्नलिखित मामलों में किया जाता है:

- यदि इश्यू विशिष्ट रेटिंग या जारीकर्ता रेटिंग गैर-रेटेड एक्सपोजर के बराबर या उससे अधिक जोखिम भार के अनुरूप है, तो यदि एक्सपोजर सभी प्रकार से रेटेड एक्सपोजर के बराबर अथवा उससे कम है तो उसी काउंटर-पार्टी पर किसी भी अन्य गैर-रेटेड एक्सपोजर को वही जोखिम भार दिया जाएगा।
- ऐसे मामलों में जहां ऋणकर्ता-ग्राहक/काउंटर पार्टी ने ऋण जारी किया है (जो बैंक से लिया गया ऋण नहीं है), तो यदि बैंक का एक्सपोजर सभी प्रकार से विशिष्ट रूप से रेटेड ऋण के समान या उससे अधिक है तथा बैंक के अनरेटेड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटेड ऋण की परिपक्वता के बाद की नहीं है तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के गैर-रेटेड एक्सपोजर पर लागू की गई है ।

(₹ करोड़ में)

(बी) एक्सपोजर राशियों के लिए जोखिम न्यूनीकरण के बाद मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, प्रत्येक जोखिम बकेट में समूह की बकाया राशि (रेटेड और अनरेटेड) के साथ-साथ घटाई गई राशियाँ		**राशि**
	100% से कम जोखिम भार	20,70,436.98
	100% जोखिम भार	7,48,475.63
	100% से अधिक जोखिम भार	2,43,833.65
	कटौती	0.00
	कुल	**30,62,746.26**

डीएफ़-5: ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

(ए) गुणात्मक प्रकटीकरण

- **तुलन पत्र में शामिल तथा शामिल न की गई निवलीकरण नीतियाँ व प्रक्रियाएँ तथा बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है।**

  तुलन पत्र की निवलीकरण मदें केवल ऐसे ऋणों/अग्रिमों तक सीमित हैं जिनके संबंध में बैंक के पास विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट लिएन उपलब्ध है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है :

जहाँ बैंक,

ए. यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि प्रतिपक्ष के दिवालिया हो जाने पर या दिवालिया न होने पर भी प्रत्येक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में लागू करने योग्य निवलीकरण या ऑफसेटिंग समझौते का एक सुस्थापित कानूनी आधार उपलब्ध है;

बी. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों को निवलीकरण समझौते के अंतर्गत निर्धारित कर सकता है; तथा

सी. निवलीकरण के आधार पर संबंधित एक्स्पोज़र्स की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, बैंक ऋणों/अग्रिमों तथा जमाराशियों के निवल एक्स्पोज़र को अपने पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋणों/अग्रिमों को एक्स्पोज़र तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना जाता है।

(क) संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ

बैंक में एक एकीकृत ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति विद्यमान है, जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। इस नीति का भाग बी ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन से संबंधित है, जो पूंजी गणना के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रति बैंक के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।

इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण का वर्गीकरण तथा आकलन इस तरह से करना है कि विनियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

(i) ऋण जोखिम-न्यूनीकरणों का वर्गीकरण
(ii) स्वीकार्य ऋण जोखिम-न्यूनीकरण
(iii) ऋण जोखिम-न्यूनीकरण मदों के लिए आवश्यक प्रलेखीकरण एवं विधिक प्रक्रियाएँ
(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
(v) मार्जिन एवं संतुलन आवश्यकताएँ
(vi) बाह्य रेटिंग
(vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
(viii) बीमा
(ix) ऋण जोखिम-न्यूनीकरण मदों की मॉनिटरिंग
(x) सामान्य दिशानिदेश

- **बैंक द्वारा ली गई प्रमुख प्रकार की प्रतिभूतियों का विवरण**

  मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत समान्यत: निम्नलिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में माना जाता है:

  नकदी या नकदी के समान (बैंक जमा/राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी, इत्यादि)

  स्वर्ण

  केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ

  अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए BBB- अथवा बेहतर/PR3/P3/F3/A3 रेट की गई ऋण प्रतिभूतियाँ

- **मुख्य प्रकार के गारंटर प्रतिपक्षकार तथा उनकी ऋण पात्रता**

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार, बैंक निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटर के रूप में स्वीकार करता है:

  - सरकार, सरकारी संस्थाएँ [बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), यूरोपीय सेंट्रल बैंक एवं यूरोपीय समुदाय के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंक, निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम (ईसीजीसी) और सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)], सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई), बैंक तथा प्राथमिक डीलर जिनका जोखिम भार प्रतिपक्षकार से कम हो।
  - एए या बेहतर की बाह्य रेटिंग वाले अन्य गारंटर। यदि गारंटर मूल कंपनी, संबद्ध या सहायक कंपनी है, तो बैंक द्वारा गारंटीकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए उनका जोखिम भार ऋणकर्ता से कम होना चाहिए। गारंटर की रेटिंग एक इकाई की रेटिंग के रूप में होनी चाहिए, जिसमें इकाई की सभी देनदारियाँ तथा प्रतिबद्धताएँ (गारंटियों सहित) शामिल हों।

जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर (बाजार या क्रेडिट) जोखिम संकेंद्रण के बारे में जानकारी:

बैंक के पास विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक से प्रतिभूतिकृत आस्तियों का एक विस्तृत पोर्टफोलियो है, जैसे : -

- ऊपर सूची में दी गई पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ
- सरकारों तथा अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेटों द्वारा दी गई गारंटियाँ,
- काउंटर पार्टी की अचल आस्तियां तथा चालू आस्तियाँ

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार मात्रात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)
(बी) अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल एक्सपोज़र (जहाँ लागू हो, तुलन पत्र या तुलन पत्र इतर में शामिल ऋण जोखिम घटाने के बाद) जिसे निर्धारित कटौती लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	1,66,449.51
(सी) अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहाँ लागू हो, तुलन पत्र बाह्य या तुलन पत्र में शामिल ऋण जोखिम घटाने के बाद) जिसे गारंटी/क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है (जहाँ विशेष रूप से आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई हो)	96,391.87

डीएफ़-6: प्रतिभूतिकरण एक्स्पोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
(ए)	प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकता जिसमें यह चर्चा शामिल है:	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधि के संबंध में बैंक के उद्देश्य, जिसमें इन गतिविधियों से बैंक द्वारा अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र के ऋण जोखिम को अन्य संस्थाओं को अंतरित करना भी शामिल हैं।	शून्य
	प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अंतर्निहित अन्य जोखिमों का स्वरूप (उदाहरण के लिए चलनिधि जोखिम)	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाएँ (उदाहरण के लिए: प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, स्वैप प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता#) तथा प्रत्येक में बैंक की भागीदारी की सीमा; @यदि विनियामक नियमों के अधीन अनुमति हो तो अंतर्निहित आस्तियों की ब्याज दर/मुद्रा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किसी ब्याज दर स्वैप अथवा मुद्रा स्वैप के रूप में धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण संरचना में किसी बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। # यदि विनियामक नियमों के अनुसार अनुमति हो तो बैंक गारंटी, ऋण डेरिवेटिव्स अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य उत्पाद के माध्यम से किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के ऋण तथा बाजार जोखिम में परिवर्तन की मॉनिटरिंग के लिए प्रक्रियाओं का विवरण (उदाहरण के लिए, अंतर्निहित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रतिभूति एक्सपोजर पर कैसा प्रभावित करता है, जैसाकि एनसीएएफ़ पर 1 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है)।	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र्स के माध्यम से बने जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बैंक की नीति का विवरण;	लागू नहीं
(बी)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश, जिसमें शामिल हैं:	
	क्या लेनदेनों को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है;	लागू नहीं
	बनाए रखी गई या खरीदी गई स्थिति के मूल्यांकन हेतु लागू की गई पद्धतियाँ व प्रमुख पूर्वानुमान (इनपुट सहित)	लागू नहीं
	पिछली अवधि से पद्धतियों तथा प्रमुख अवधारणाओं में परिवर्तन व उन परिवर्तनों का प्रभाव;	लागू नहीं
	उन व्यवस्थाओं के लिए जिनके लिए बैंक को जिन प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है, उनके लिए तुलनपत्र में देनदारियों को पहचानने की नीतियाँ।	लागू नहीं
(सी)	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए उपयोग किए गए ईसीएआई के नाम तथा प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया गया है।	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटीकरण: बैंकिंग बही	
(डी)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्स्पोज़र की कुल राशि	शून्य
(ई)	वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा लेखे में शामिल की गई प्रतिभूतिकृत हानियाँ, एक्सपोज़र के प्रकार (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण इत्यादि का अंतर्निहित प्रतिभूति सहित विस्तृत विवरण) वर्गीकृत किया गया है।	शून्य
(एफ़)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकरण के लिए संभावित आस्तियों की राशि	शून्य
(जी)	(एफ़) में से, प्रतिभूतिकरण से पहले एक वर्ष के भीतर प्रवर्तित आस्तियों की राशि।	लागू नहीं
(एच)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की कुल राशि (एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार) तथा उस एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार बिक्री पर लाभ या हानि जिसे लेखे में शामिल नहीं किया गया है ।	शून्य

(आई)	निम्नलिखित की कुल राशि:	
	तुलन पत्र में बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र का उसके प्रकार के अनुसार विवरण तथा	शून्य
	तुलन पत्र में शामिल न किया गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र का उसके प्रकार के अनुसार	शून्य
(जे)	बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र और उससे संबंधित पूंजी खर्च की कुल राशि, एक्सपोज़र के अनुसार अलग-अलग तथा आगे विनियामक द्वारा अलग-अलग जोखिम के लिए निर्धारित भार बैंड के अनुरूप अलग-अलग जोखिम भार का उल्लेख	शून्य
	पूरी तरह से टियर 1 पूंजी से घटाए गए एक्सपोज़र, कुल पूंजी से घटाए गए ऋण बढ़ाने वाले आई/ओ तथा कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर हैं (एक्स्पोज़र प्रकार के अनुसार)	शून्य
	मात्रात्मक प्रकटीकरण: ट्रेडिंग बही	
	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की कुल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोज़र यथावत बनाए रखा है तथा जिसका आकलन बाजार जोखिम पद्धति दृष्टिकोण के अनुसार किया गया है, एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार विवरण	शून्य
	निम्नलिखित की कुल राशि:	
	तुलन पत्र में यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र का विवरण; एक्सपोजर प्रकार के अनुसार; तथा	शून्य
	तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र का विवरण; एक्सपोजर प्रकार के अनुसार।	शून्य
(एम)	निम्नलिखित के लिए यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र की कुल राशि:	शून्य
	विशिष्ट जोखिम के लिए संपूर्ण व्यापक जोखिम उपाय के अधीन बनाए रखा गया या खरीदा गया प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र; तथा	शून्य
	अलग-अलग जोखिम भार श्रेणियों में विभाजित विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण संरचना के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण एक्स्पोज़र।	शून्य
(एन)	निम्नलिखित की कुल राशि:	
	विभिन्न जोखिम भार श्रेणियों में विभाजित प्रतिभूतिकरण संरचना के अधीन, प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के लिए पूंजी आवश्यकताएँ।	शून्य
	पूरी तरह से टियर 1 पूंजी से घटाए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र, कुल पूंजी से घटाए गए ऋण संवर्धन वाले आई/ओ तथा कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोज़र (एक्सपोज़र प्रकार अनुसार)	शून्य

डीएफ़-7: ट्रेडिंग बही में बाज़ार जोखिम

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

(ए) : गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) बैंक बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता की गणना के लिए मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) का पालन करता है।

(2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अभिशासन संरचना के अनुसार बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत बाज़ार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कार्य करता है।

(3) एमआरएमडी ट्रेजरी परिचालनों से सम्बद्ध बाजार जोखिम की पहचान, उसके आकलन, मॉनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

(4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित, सुपरिभाषित बाज़ार जोखिम प्रबंधन मानकों सहित निम्नलिखित नीतियाँ लागू की गई हैं::

(ए) बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति

(बी) बाज़ार जोखिम सीमाएँ

(सी) निवेश नीति

(डी) ट्रेडिंग नीति

(ई) बाज़ार जोखिम के लिए दबाव जांच नीति

(5) जोखिम मॉनिटरिंग लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा इसमें जोखिम की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति व बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किया जाता है।

(6) जोखिम प्रबंधन तथा उसकी रिपोर्टिंग वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आशोधित अवधि, पीवी01, ऑप्शन ग्रीक, अधिकतम अनुमत एक्स्पोज़र, जोखिम मूल्य सीमा, संकेंद्रण जोखिम सीमा, निम्न व ऊपरी प्रबंधन कार्रवाई ट्रिगर जैसे मापदंडों पर आधारित है।

(7) बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा खुली स्थिति सीमा (डेलाइट/ओवरनाइट), स्टॉप लॉस सीमा, एग्रीगेट गैप सीमा (एजीएल), एकल गैप सीमा (आईजीएल) की मॉनिटरिंग की जाती है और यदि कोई अंतर हो तो उसकी सूचना बैंक के शीर्ष प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है।

(8) मूल्य जोखिम (वीएआर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है। वीएआर संख्या की बैक-टेस्टिंग प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम के पूरक के रूप में दबाव परीक्षण त्रैमासिक अंतराल पर किया जाता है। इसके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।

(9) विदेश स्थित संबंधित कार्यालय स्थानीय विनियामक तथा आरबीआई के निर्धारण के अनुसार अपने निवेश पोर्टफोलियो के जोखिम की मॉनिटरिंग करते हैं। एकल निवेश के लिए स्टॉप लॉस सीमा तथा कतिपय पोर्टफोलियो के लिए एक्सपोज़र सीमा निर्धारित की गई है।

(10) बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने उन्नत दृष्टिकोण पद्धति अर्थात आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण पद्धति अपनाने के लिए आरबीआई को आशय पत्र (एलओआई) प्रस्तुत किया है।

(बी) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

बाज़ार जोखिम पर पूंजी प्रभार (आवश्यकताएँ)

बैंक निम्नानुसार मानकीकृत माप पद्धति के अनुसार बाजार जोखिम के लिए पूंजी भार रखता है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2021
ब्याज दर जोखिम (डेरिवेटिव्स सहित)	13,789.64
इक्विटी स्थिति जोखिम	7,514.91
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	171.23
कुल	**21,475.78**

डीएफ़-8: परिचालन जोखिम

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन

- एसबीआई में परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक की एकीकृत जोखिम अभिशासन संरचना के अंतर्गत संबंधित मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है। एसबीआई में, मुख्य जोखिम अधिकारी बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को रिपोर्ट करते हैं।
- समूह की अन्य इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों को संबंधित संस्थाओं के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में उनके व्यवसाय मॉडल तथा विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार निपटाया जा रहा है।

बी. एसबीआई में परिचालन जोखिम पर नियंत्रण एवं न्यूनीकरण नीतियाँ

देशीय बैंकिंग इकाइयाँ (एसबीआई)

एसबीआई में निम्नलिखित नीतियाँ, रूपरेखा दस्तावेज़ तथा मैनुअल लागू हैं:

नीतियाँ और रूपरेखा दस्तावेज़

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में, व्यवस्थित और अतिसक्रिय पहचान, आकलन, मापन, मॉनिटरिंग, न्यूनीकरण तथा परिचालन जोखिमों की रिपोर्टिंग के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल है।
- लॉस डेटा प्रबंधन नीति;
- बाह्य लॉस डेटा प्रबंधन नीति;
- आईएस नीति ;
- आईटी नीति;
- साइबर सुरक्षा नीति
- समूह साइबर सुरक्षा नीति
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) नीति;
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) नीति;
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानक तथा धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद वित्तपोषण निवारण उपायों संबंधी नीति;
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति;
- बैंक की आउटसोर्सिंग नीति;
- बीमा पर नीति;

नियम पुस्तकें (मैनुअल)

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- लॉस डेटा प्रबंधन मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) मैनुअल
- बाह्य लॉस डेटा मैनुअल

देशीय गैर-बैंकिंग तथा विदेशी बैंकिंग इकाइयाँ

गैर-बैंकिंग संस्थाओं के लिए उनके व्यवसायिक मॉडल से संबन्धित तथा विदेश स्थित बैंकिंग अनुषंगियों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ व मैनुअल विद्यमान हैं। कुछ विद्यमान नीतियाँ हैं - आपदा प्रबंधन योजना/ व्यापार निरंतरता योजना, घटना रिपोर्टिंग तंत्र, नियर मिस घटना रिपोर्टिंग तंत्र तथा आउटसोर्सिंग नीति आदि।

सी. कार्यनीतियाँ और प्रक्रियाएँ

देशीय बैंकिंग इकाइयाँ (एसबीआई)

उन्नत मापन दृष्टिकोण पद्धति

- जोखिम संस्कृति तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ORMC) तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के अलावा बैंक के मंडलों में आरएमसीएओ, आरएमसीसी, तथा व्यवसाय एवं सहायता समूहों (आरएमसी-आर एंड डीबी, आरएमसी-आईबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी-सीएजी, आरएमसी-सीसीजी, आरएमसी-एसएआरजी तथा आरएमसी-आईटी) जैसे विभिन्न स्तरों पर जोखिम प्रबंधन समितियां स्थापित की गई हैं।
- बेसल 8 बिजनेस लाइन तथा 7 लॉस इवेंट टाइप की परिभाषा के अनुसार परिचालन जोखिमों के कारण आंतरिक और बाह्य हानि का एक व्यापक डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया चालू है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए नियर मिस घटना तथा बाह्य हानि को भी कैप्चर किया जाता है।
- जोखिम तथा नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) वर्तमान नियंत्रणों में यदि कोई कमी हो तो उनकी पहचान के लिए कार्यशाला-आधारित एक अति-सक्रिय अभ्यास कार्य है। इसमें जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रणाली व नियंत्रण में सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। आरसीएसए से स्टाफ सदस्यों में जोखिम के प्रति जागरूकता पैदा करने में भी सहायता मिलती है। आरसीएसए अभ्यास वार्षिक आधार पर बैंक की शाखाओं, सीपीसी तथा कार्यालयों में किया जाता है। बैंक उत्पादों/प्रक्रियाओं के लिए थीम आधारित आरसीएसए भी आयोजित करता है। वित्त वर्ष 21 के दौरान, बैंक ने 24 थीम आधारित आरसीएसए अभ्यास आयोजित किए, जोखिम न्यूनीकरण योजनाएँ बनाई गईं तथा उच्च एवं महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए कार्यान्वित की गईं। आरसीएसए अभ्यास के दौरान बैंक की प्रणाली एवं नियंत्रण में और अधिक सुधार के लिए प्राप्त सुझावों पर व्यवसाय धारकों द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है।
- थ्रेशोल्ड तथा मॉनिटरिंग प्रणाली से सभी व्यवसाय एवं सहायता समूह में प्रमुख संकेतक (केआई) की पहचान की गई है। आरएमसी, ओआरएमसी तथा आरएमसीबी द्वारा तिमाही अंतराल पर केआई की मॉनिटरिंग की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 10 शीर्ष केआई की पहचान गहन अनुवर्ती कार्रवाई के लिए की गई है।
- बेसल II दिशानिदेशों के अंतर्गत अपेक्षित परिचालन जोखिम की मात्रा निर्धारित करने तथा मॉनिटरिंग करने के लिए आंतरिक प्रणालियों का विकास किया गया है।
- बैंक को पहले एएमए के समानांतर संचालन के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ था। तथापि, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा बेसल III संरचना में हाल ही में किए गए संशोधन के कारण, आरबीआई ने एएमए पूंजी गणना प्रस्तुत करना बंद करने की सलाह दी है।

अन्य

देशीय बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिमों को नियंत्रित करने तथा न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित उपायों का उपयोग किए जा रहे हैं:

- "अनुदेश पुस्तिका" (सामान्य अनुदेशों पर मैनुअल, ऋण एवं अग्रिम पर मैनुअल) जारी की गई हैं, जिनमें विभिन्न बैंकिंग लेनदेनों की प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशानिदेश दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में आशोधन तथा उन्हें अद्यतन करने के लिए संशोधन नियमित रूप से ई-परिपत्र/मास्टर परिपत्रों के माध्यम से किए जा रहे हैं। दिशानिदेशों तथा अनुदेशों का प्रचार ई-परिपत्र, ई-लर्निंग पाठ, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से भी किया जाता है।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुन: निर्धारण (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित अद्यतन नियमावली तथा परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय तथा गैर-वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का विवरण दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण- बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल के एक भाग के रूप में परिचालन जोखिम पर जानकारी शामिल की जाती है।
- बीमा पर बैंक की नीति के अनुसार धोखाधड़ी को छोड़कर अधिकांश संभावित परिचालन जोखिमों के लिए बैंक द्वारा बीमा कवर प्राप्त किया जाता है।
- आंतरिक लेखापरीक्षक, नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता तथा प्रभावशीलता की जाँच एवं मूल्यांकन और कतिपय नियंत्रण प्रक्रियाओं की कार्यशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं, आचार संहिता तथा नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं।
- किसी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं की बहाली और पुनर्प्राप्ति के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति तथा मैनुअल बैंक में विद्यमान है।
- अवकाश नीति का सख्ती से अनुपालन।
- जिन शाखाओं में आरसीएसए प्रस्तावित नहीं है, वहाँ आरसीएसए-संक्षिप्त का संचालन।

देशीय गैर-बैंकिंग तथा विदेशी बैंकिंग इकाइयाँ

देशी गैर-बैंकिंग तथा विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयों में प्रणाली व प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग के माध्यम से पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

डी. जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का दायरा व स्वरूप

- धोखाधड़ी पर रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने की प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में विद्यमान है।
- निवारक सतर्कता तथा व्हिसल ब्लोविंग (पर्दाफाश) की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में विद्यमान है।
- सभी शाखाओं के आरसीएसए/आरसीएसए-संक्षिप्त अभ्यास से सामने आए महत्वपूर्ण जोखिम के लिए परिदृश्य विश्लेषण तथा लॉस डेटा/एनएमई के विश्लेषण के संबंध में नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबंधन को सूचित किया जाता है तथा निरंतर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।
- 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु विगत 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजीगत भार के साथ मौलिक संकेतक दृष्टिकोण पद्धति लागू की गई है, बीमा कंपनियों को छोड़ दिया गया है।

डीएफ़-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

आंतरिक एवं बाह्य कारकों के कारण बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओ के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारकों में बैंक की आस्ति एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, वर्तमान ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशन की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल हैं। बाह्य कारकों में सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। बैंक पर बढ़ती या घटती ब्याज दरों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि तुलनपत्र संवेदनशील है या देयता संवेदनशील। बैंक अपने तुलनपत्र में शामिल तथा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोज़र पर बदलती ब्याज दरों से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों की पहचान अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टिकोणों से करता है।

1.1 संरचना और संगठन

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलनपत्र जोखिमों की लगातार पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की एएलएम नीति के माध्यम से इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन हेतु मानकों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, एएलसीओ समय-समय पर जोखिम और प्रतिलाभों, निधियाँ एवं विनियोजन, बैंक के ऋण व जमाराशियों पर ब्याज दर निर्धारण तथा निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी व नियंत्रण करती है।

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) एएलएम प्रणाली के कार्यान्वयन को देखती है तथा समय-समय पर इसके कामकाज की समीक्षा करती है और दिशानिर्देश देती है। यह, ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए एएलसीओ द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है।

1.2 जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणाली का क्षेत्र तथा स्वरूप

आरबीआई ने पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (आईआरएस-टीजीए) के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता के विवरण के माध्यम से मासिक अंतराल पर ब्याज दर जोखिम की निगरानी निर्धारित की है। तदनुसार, एएलसीओ मासिक आधार पर आईआरएस-टीजीए की समीक्षा करती है और जोखिम पर आय (ईएआर) की मॉनिटरिंग करती है। आस्तियों व देयताओं पर ब्याज दर में समानांतर परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में परिवर्तन का आकलन करती है।

आरबीआई ने बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर अवधि अंतर विश्लेषण के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान करने का भी, निर्देश दिया है। बैंक यह विश्लेषण मासिक आधार पर करता है। इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर में बदलाव का प्रभाव बाज़ार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति व देयताओं के मूल्य में परिवर्तन को पहचानकर आईआरएस-डीजीए के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है। इक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) तथा आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समानांतर परिवर्तन का अनुमान है।

जोखिम पर अर्जन (ईएआर) : ब्याज दरों में परिवर्तन का तुरंत प्रभाव बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) में परिवर्तन से अर्जन पर पड़ता है। जोखिम पर अर्जन, लघु अवधि में (एक वर्ष में प्रभाव) एनआईआई पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव की गणना के लिए उपयोगी है। जोखिम पर अनर्जन गणना में बैंकिंग बही तथा ट्रेडिंग बही दोनों शामिल हैं।

इक्विटी का बाज़ार मूल्य (एमवीई): ब्याज दरों में परिवर्तन का दीर्घकालिक प्रभाव बैंक की देयताओं एवं तुलन पत्र बाह्य स्थितियों के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन के माध्यम बैंक के इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) या निवल मालियत पर पड़ता है। यद्यपि मूल्य में इन परिवर्तनों का प्रभाव आय पर नहीं पड़ता, फिर भी इनका प्रभाव बैंक की पूंजी की स्थिति पर पड़ता है।

बैंक अपने देशी तथा विदेश में परिचालन के लिए आईआरआरबीबी को प्रबंधित करने के ढाँचे के हिस्से के रूप में एमवीई दृष्टिकोण का उपयोग करता है। एमवीई के प्रभाव का आकलन संपूर्ण बैंक तथा बैंकिंग बही पर अलग से किया जाता है। आईआरआरबीबी की प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग करने के लिए, एएलएम नीति में संपूर्ण बैंक तथा बैंकिंग बही के लिए भिन्न-भिन्न एमवीई सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

1.3 जोखिम हेड्जिंग तथा न्यूनीकरण नीतियाँ

बैंक में, हेड्जिंग लेनदेन करने के लिए एक नीति विद्यमान है। अंतर्निहित तथा तात्कालिक बाज़ार परिस्थितियों के आधार पर बैंक निर्धारित आस्तियों तथा देयताओं के लिए हेड्जिंग लेनदेन करता है। ब्याज दर स्वैप, ओआईएस, फॉरवर्ड दर करार तथा क्रॉस मुद्रा स्वैप जैसी डेरिवेटिव्स लिखतों को बैंक द्वारा हेड्जिंग तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

2.1 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, यील्ड कर्व में समानांतर परिवर्तन को मानते हुए, ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण एनआईआई पर अनुमानित प्रभाव निम्नलिखित टेबल में बताया गया है

जोखिम पर अर्जन (आईएआर)

(₹ करोड़ में)

निवल ब्याज आय पर प्रभाव	
निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर आस्ति एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 100 बीपीएस के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	5,996.29
निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर आस्ति एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 200 बीपीएस के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	11,992.58

2.2 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, यील्ड वक्र में समानांतर परिवर्तन को मानते हुए, ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण एमवीई पर अनुमानित प्रभाव निम्नलिखित टेबल में बताया गया है

इक्विटी का बाज़ार मूल्य (एमवीई)

(₹ करोड़ में)

इक्विटी के बाज़ार मूल्य पर प्रभाव	
इक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई)-बैंकिंग बही पर आस्ति एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 100 बीपीएस के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	16,003.19
इक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई)-बैंकिंग बही पर आस्ति एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 200 बीपीएस के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	32,006.38

डीएफ़-10: काउंटर पार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा देशी बैंकों, विदेशी बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों, प्राथमिक डीलरों, लघु वित्त बैंकों तथा पेमेंट बैंकों के लिए काउंटर पार्टी एक्स्पोज़र की सीमा राशि निर्धारित करने के लिए स्कोरिंग मॉडलों का उपयोग किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक की सभी व्यवसाय इकाइयों अर्थात सीएजी, सीसीजी, आरएंडडीबी, ग्लोबल मार्केट तथा आईबीजी को एक्स्पोज़र सीमा का आबंटन करता है, इस एक्स्पोज़र सीमा का आबंटन इन इकाइयों द्वारा अपनी विभिन्न परिचालन इकाइयों के बीच किया जाता है।

संपार्श्विक प्रतिभूतियों का वर्गीकरण तथा पहचान

बैंक आंतरिक संस्वीकृति तथा/अथवा विनियामक पूंजीगत छूट प्रयोजनों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की स्वीकृति, पहचान तथा मूल्य निर्धारण केवल तभी करता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर ली गई हों :

- सभी प्रासांगिक अधिकार क्षेत्रों में प्रतिभूति की प्रवर्तनीयता तथा प्रभावकारिता विधिक रूप से सुनिश्चित हो
- ऋण तथा संपार्श्विक दस्तावेज़ों के संबंध में सभी संविदात्मक एवं सांविधिक आवश्यकताएँ पूरी कर ली गई हों।
- बैंक ने संबंधित संपार्श्विक के लिए विधिक प्रभार (प्रथम विधिक ऋण-प्रभार के अतिरिक्त द्वितीयक/गौण या सममात्रा ऋण प्रभार भी) प्राप्त कर लिया हो।
- जिस विधिक प्रणाली के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूति को गिरवी रखा जाता है या अंतरित किया जाता है, काउंटर पार्टी या अन्य पक्ष द्वारा चूक करने, दिवालिया हो जाने की स्थिति में उस प्रणाली में प्रतिभूति के समय पर परिसमापन करने या कब्जे में लेने का अधिकार बैंक को हो।
- संपार्श्विक प्रतिभूति के समय पर परिसमापन हेतु बैंक में स्पष्ट व सुदृढ़ कार्यविधि उपलब्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काउंटर पार्टी द्वारा की गई चूक को घोषित करने तथा संपार्श्विक प्रतिभूति के परिसमापन के लिए विधिक शर्तें पूरी की गई है तथा संपार्श्विक प्रतिभूति का परिसमापन तत्काल किया जा सकता है।

आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) पूंजी पात्रता की गणना के लिए संपार्श्विक द्वारा आरबीआई, आईआरबी दिशानिदेशों में दिए गए परिचालन मानदंडों को पूरा किया जाना आवश्यक है।

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह से पूर्व डेरिवेटिव्स लेनदेन की काउंटर पार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम को काउंटर पार्टी जोखिम कहा जाता है। इस जोखिम के न्यूनीकरण के लिए डेरिवेटिव्स लेनदेन केवल उन्हीं पार्टियों के साथ किए जाते हैं जिन्हें ऋण सीमाएं अनुमोदित की गई हैं। बैंक के लिए काउंटर पार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मानदंडों जैसे निवल मालियत, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग इत्यादि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया जाता है। कॉर्पोरेटों की डेरिवेटिव्स सीमा का आकलन तथा संस्वीकृति का संयोजन नियमित ऋण सीमा के हिस्से के रूप में किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

अनुमानिक एवं चालू ऋण एक्स्पोज़र का संवितरण		अनुमानिक ऋण एक्स्पोज़र	वर्तमान ऋण एक्स्पोज़र	राशि के अंतर्गत वर्तमान ऋन पद्धति (सीईएम)
ए)	ब्याज दर स्वैप	2,32,557.48	3,235.42	5,628.06
बी)	क्रॉस मुद्रा स्वैप	49,326.97	759.25	1,233.14
सी)	मुद्रा ऑप्शन्स	65,027.90	1,097.70	7,251.11
डी)	विदेशी मुद्रा संविदाएँ	9,18,403.76	9,277.85	33,510.60
ई)	मुद्रा फ़्यूचर्स			
एफ़)	फॉरवर्ड दर करार	361.14	0.00	0.00
जी)	अन्य (कृपया उत्पाद का नाम बताएँ) - एनडीएफ़	2,394.83	0.27	48.16
कुल		**12,68,072.08**	**14,370.49**	**47,671.07**
ऋण डेरिवेटिव्स लेनदेन			**शून्य**	

डीएफ़-11: पूंजी संरचना

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट का प्रयोग किया जा रहा है

	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियाँ		**संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)**
1	सीधे जारी की गई अर्हक कॉमन शेयर पूंजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर लाभांश)	80007.93	A1+B3
2	प्रतिधारित अर्जन	147376.81	B1 + B2 + B7 +B8 +B9(#)
3	अन्य कुल संचित आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	18326.35	B5 * 75% + B6 *45%
4	सीईटी 1 से कटौती के अधीन सीधे जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी कॉमन शेयर पूंजी तथा तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिधारित (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	1358.53	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	247069.61	
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	597.62	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता के पश्चात)	1549.99	डी
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता के पश्चात)	31.96	
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	2.19	
11	नकदी-प्रवाह हेज रिज़र्व		
12	संभावित हानियों के लिए प्रावधानों में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्य की देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि		
15	नियत-लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियाँ		
16	अपने शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में पहले से कम नहीं किया गया हों तो)	95.47	
17	कॉमन इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग	318.58	
18	उन बैंकिंग, वित्त तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य के क्षेत्र के बाहर हैं तथा जहां पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)		
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, पात्र शॉर्ट पोजिशन घटाकर (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)		
21	अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाने के बाद 10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)		
22	15% की प्रारम्भिक सीमा सीधे अधिक राशि		
23	इसमें से: वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	इसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार		
25	इसमें से: अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	1331.49	
26ए	इसमें से: गैर-समेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	1319.68	
26बी	इसमें से: गैर-समेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	11.81	

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट का प्रयोग किया जा रहा है

			संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)
26ग	इसमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई, आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी		
26घ	इसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय		
27	कटौतियों को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण कॉमन टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
28	कॉमन टियर 1 इक्विटी में कुल विनियामक समायोजन	3927.30	
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	243142.32	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत			
30	सीधे जारी किए गए अर्हता अतिरिक्त टियर 1 लिखत तथा संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर लाभांश) (31+32)	32029.00	
31	इसमें से: लागू लेखा मानकों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)		
32	इसमें से: लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखते)	32029.00	
33	अतिरिक्त टियर 1 में से कम करने के लिए सीधे जारी की गई पूंजी लिखत		
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी लिखितें को पंक्ति 5 में शामिल नहीं की गई हैं) (राशि समूह एटी 1 में अनुमत)	254.72	
35	इसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाली हैं		
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	32283.72	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37	अपनी अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	88.84	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारणाएँ	11.23	
39	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय पोजिशन को घटाने के बाद जहाँ जारी की गई कॉमन शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
40	विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय पोजिशन को छोड़कर)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	
41ए	इसमें से: गैर-समेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश		
41बी	इसमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश		
42	कटौतियों को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण कॉमन टियर 1 पर लागू किए गए विनियामक समायोजन		
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के प्रति कुल विनियामक समायोजन**	100.07	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	32183.65	
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44)**	275325.97	
टियर 2 पूंजी: लिखत तथा प्रावधान			
46	सीधे जारी अर्हक टियर 2 लिखत तथा संबंधित स्टॉक आधिक्य	33111.30	
47	टियर 2 से कम की जाने वाली, सीधे जारी पूंजीगत लिखत	951.04	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा धारित टियर 2 लिखत (तथा सीईटी 1 व एटी 1 लिखते जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं की गई हैं) (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	785.95	
49	इनमें से : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत, जो कम होने वाली हैं।		

(`करोड़ में)

31 मार्च 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट का प्रयोग किया जा रहा है

			संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)
50	प्रावधान	18938.55	
51	विनियमन समायोजन से पूर्व टियर 2 पूंजी	53786.84	
टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन			
52	अपनी टियर 2 लिखतों में निवेश	386.15	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग		
54	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय स्थिति को घटाने के बाद जहाँ जारी की गई कॉमन शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
55	विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00	
56ए	इनमें से : गैर-समेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में निवेश		
56बी	इनमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में निवेश		
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	386.15	
58	**टियर 2 पूंजी (टी2)**	53400.69	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)**	**328726.65**	
60	कुल ऋण भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	**2353096.02**	
60ए	इनमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	1847244.71	
60बी	इनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारित आस्तियाँ	268447.28	
60सी	इनमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	237404.03	
पूंजी अनुपात एवं बफर			
61	कॉमन इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.33	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.70	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.97	
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता तथा पूंजी संरक्षण तथा काउंटर साइक्लिकल बफर आवश्यकताएँ तथा जी-एसआईबी बफर आवश्यकता)	7.98	
65	इनमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.88	
66	इनमें से: बैंक विशिष्ट काउंटर चक्रीय बफर आवश्यकता		
67	इनमें से: डी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.60	
68	बफ़र्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध कॉमन इक्विटी टियर1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	4.83	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय कॉमन इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	5.50	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	7.00	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	9.00	
कटौती के लिए प्रारंभिक सेमा से कम राशियाँ (जोखिम भार से पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	अन्य वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक महत्वपूर्ण निवेश	567.62	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)		
75	अस्थायी अंतर के कारण आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)	7195.35	

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट का प्रयोग किया जा रहा है

			संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)
टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार एक्सपोजर को टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	18938.55	0.00
77	मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की उच्चता सीमा	23090.56	0.00
78	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार एक्सपोजर को टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	0.00	
79	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की उच्चता सीमा	0.00	
फेज़आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखतें (केवल 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)			
80	फ़ेज़आउट व्यवस्था के अधीन सीईटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	0.00	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन तथा परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक राशि)	0.00	
82	फ़ेज़आउट व्यवस्था के अधीन एटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	10%	
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन तथा परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक राशि)		
84	फ़ेज़आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	10%	
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन तथा परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक राशि)		

टेंपलेट के नोट

टेंपलेट की पंक्ति संख्या	**विवरण**	(₹ करोड़ में)	
10	संचित हानियों सहित संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	2.19	0
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचित हानियों संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता को घटाकर	7195.35	0.00
	कुल जो पंक्ति 10 में दर्शाया गया है	2.19	0
19	यदि बीमा अनुषंगियों में निवेश को पूरी तरह से पूंजी से नहीं घटाया गया है तथा उसके स्थान पट कटौती के लिए 10% प्रारंभिक सीमा के अंतर्गत गणना में शामिल है तो उसके कारण बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0.00	
	इनमें से : कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00	
	इनमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00	
	इनमें से: टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00	
26बी	यदि गैर-समेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश को नहीं घटाया गया है तथा इसलिए, जोखिम भारित है:		
	(i) कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि		
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि		
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	18938.55	0.00
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुन्र्मूल्यन आरक्षितियाँ		
	50 का कुल योग	18938.55	0.00

#बी7: आय तथा अन्य आरक्षितियाँ, एकीकरण एवं विकास निधि (5 करोड़ रुपए) घटाकर है।

डीएफ़-12: पूंजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएँ

31.03.2021 कि स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरण में तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे में तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को	
ए	**पूंजी एवं देयताएँ**			
i.	प्रदत्त पूंजी	892.46	892.46	A
	इनमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	892.46	892.46	A1
	इनमें से: एटी1 के लिए पात्र राशि	-	-	A2
	आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	274669.11	263411.43	B
	इनमें से: सांविधिक आरक्षितियाँ	77170.12	77170.08	B1
	इनमें से: पूंजी आरक्षितियाँ	15434.69	15433.33	B2
	इनमें से: शेयर लाभांश	79115.47	79115.47	B3
	इनमें से: निवेश आरक्षितियाँ	-	-	B4
	इनमें से: निवेश पुनर्मूल्यन आरक्षितियाँ	3048.08	3048.08	
	इनमें से: विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षितियाँ	10290.42	10288.72	B5
	इनमें से: अचल आस्तियों पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	23577.35	23577.35	B6
	इनमें से: राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ	43407.92	38146.09	B7
	इनमें से: आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत आरक्षितियाँ	14528.52	14528.52	B8
	इनमें से: लाभ–हानि खाते में शेष	8096.54	2103.79	B8
	अल्प मदों पर ब्याज	9625.92	4154.18	
	कुल पूंजी	**285187.49**	**268458.07**	
ii	**जमाराशियाँ**	**3715331.23**	**3716470.18**	
	इनमें से: बैंको में जमाराशियाँ	10961.97	10961.97	
	इनमें से: ग्राहकों की जमाराशियाँ	3704369.26	3705508.21	
	इनमें से: अन्य जमाराशियाँ (कृपया स्पष्ट करें)			
iii	**उधारियाँ**	433796.21	434018.28	
	इनमें से: आरबीआई से	24956.00	24956.00	
	इनमें से: बैंकों से	127811.60	127811.60	
	इनमें से: अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से	211180.09	211402.16	
	इनमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	
	इनमें से: पूंजीगज लिखत	69848.52	69848.52	
iv	**अन्य देयताएँ एवं प्रावधान**	**411303.62**	**187575.36**	
	इनमें से: गुडविल से संबंधी डीटीएल			
	इनमें से: अमूर्त आस्तियों से संबंधित आस्तियाँ			
	कुल	**4845618.55**	**4606521.89**	
बी	**आस्तियाँ**			
I	**नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष**	**213498.62**	**213419.76**	
	बैंकों के पास जमा तथा अल्प अवधि में मांग पर प्राप्य राशियाँ	**134208.42**	**131727.33**	

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरण में तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे में तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को	
ii	**निवेश**	1595100.26	1365305.75	
	इनमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	1161657.44	1084854.62	
	इनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	27970.45	227.18	
	इनमें से: शेयर	69005.39	8027.90	
	इनमें से: डिबेंचर व बॉन्ड	223935.09	182941.85	
	इनमें से: अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्थाएँ	13354.64	10149.43	
	इनमें से: अन्य (कमर्शियल पेपर, म्युचुअल फंड्स इत्यादि)	99177.25	79104.77	
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	2500598.99	2500239.93	
	इनमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	84976.68	84976.68	
	इनमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	2415622.31	2415263.25	
iv	**अचल आस्तियाँ**	40166.79	39311.45	
v	**अन्य आस्तियाँ**	360495.48	354967.68	
	इनमें से: गुडविल	-	-	
	इनमें से: अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	2.00	2.00	
	इनमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	7244.80	7226.42	
vi	**समेकन पर गुडविल**	1549.99	1549.99	
vii	**लाभ-हानि खाते में डेबिट शेष**			
	कुल आस्तियाँ	4845618.55	4606521.89	

	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत तथा आरक्षितियाँ	**बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए विनियामक पूंजी घटक**	**संदर्भ सं. (डीएफ़-12 चरण 2 के संबंध में)**
1	सीधे जारी अर्हक कॉमन शेयर (तथा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष	80007.93	ए1+बी3
2	प्रतिधारित आय	147376.81	बी1 + बी2 + बी7 +बी8 +बी9(#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	18326.35	बी5 * 75% + बी6 *45%
4	सीईटी1 से कटौती कर सीधे जारी पूंजी (केवल गैर-स्टॉक कंपनियों पर लागू)		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा धारित कॉमन शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	1358.53	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी	247069.61	
7	विवेकशील मूल्यांकन समायोजन	597.62	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता को घटकर)	1549.99	डी

बी7: आय तथा अन्य आरक्षितियाँ, एकीकरण एवं विकास निधि (5 करोड़ रुपए) घटाकर है।

डीएफ़13: नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ

डीएफ़ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के पूरे नियम व शर्तें

ये प्रकटीकरण अर्थात डीएफ 13 तथा डीएफ 14 बैंक की वेबसाइट यानी www.sbi.co.in/portal/web/corpore-governance/basel-iii-disclosures पर अपलोड कर दिए गए हैं।

डीएफ़15- पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

लागू नहीं, क्योंकि यह प्रकटीकरण निजी क्षेत्र तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को करना होता है।

डीएफ़-16: इक्विटी बैंकिंग बही स्थिति के संबंध में प्रकटीकरण

31.03.2021 की स्थित के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण		
1.	इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्नलिखित भी शामिल हैं::	
	• ऐसी धारिताएँ जिनमें पूंजीगत लाभ होने की संभवना है तथा संबद्ध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत ली गई होल्डिंग्स के बीच अंतर ;	एचटीएम श्रेणी के सभी इक्विटी निवेश सहायक कंपनियों, अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में किए जाते हैं। ये कार्यनीतिक स्वरूप के होते हैं।
	• बैंकिंग बही में इक्विटी होल्डिंग के मूल्यांकन और लेखांकन से संबंधित महत्त्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें लेखांकन के लिए प्रयोग में लाई गई तकनीकों तथा मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाली प्रथाओं तथा उनमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भी शामिल हैं।	एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई प्रतिभूतियों को लेखाविधि तथा मूल्यांकन नीति को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची 17 के पैरा सी-2 के अंतर्गत दिया गया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण					
1.	तुलनपत्र में प्रकट किए गए निवेशों के मूल्य तथा उनके उचित मूल्य : कोट की गई प्रतिभूतियों के लिए, जनता को उद्धत मूल्यों की तुलना जहाँ उचित मूल्य काफी भिन्न है				₹828.09 करोड़
2.	निवेश के प्रकार तथा उसकी प्रकृति, जिसका वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है:				
	विवरण	**प्रकार**		**बही मूल्य (करोड़ में)**	
	सार्वजनिक रूप से ट्रेड किए जाने वाले शेयर	अनुषंगियाँ	एचटीएम	2497.27	
		सहयोगी	एएफ़एस	7810.00	
	निजी रूप से धारित	सहयोगी संस्थाएँ, अनुषंगियाँ, संयुक्त उद्यम, आरआरबी	एचटीएम	2309.63	
3.	संदर्भित अवधि के दौरान बिक्री से प्राप्त संचयी लाभ (हानियाँ)				1,550.96 करोड़ (लाभ)
4.	न वसूल किए गए लाभ (हानियाँ)13				11.24 करोड़ (अनरियालाइज्ड हानियाँ)
5.	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यन लाभ (हानियाँ)14				₹3916 करोड़ (एमटीएम लाभ)
6.	टियर 1 तथा/अथवा टियर 2 पूंजी में शामिल उपर्युक्त कोई राशि				₹8.44 करोड़
7.	बैंक की पद्धति के अनुसार इक्विटी समूहन द्वारा विखंडित पूंजी, समग्र राशियाँ, एवं उन पर निवेशों का प्रकार, जो किसी पर्यवेक्षी अंतरण या विनियमक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन होते हैं।				निरंक

13 तुलनपत्र में शामिल किंतु लाभ-हानि खाते में शामिल न किया गया न वसूल किया गया लाभ (हानियाँ)

14 तुलनपत्र अथवा लाभ-हानि खाते में शामिल न किया गया न वसूल किया गया लाभ (हानियाँ)

डीएफ़-17: लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर माप की तुलना का सारांश

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

	मद	₹(मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	48456185.00
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिनका लेखांकन के उद्देश्यों से समेकन किया जाता हैं, लेकिन विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है।	-2390967.00
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसार तुलनपत्र में शामिल की गई काल्पनिक आस्तियों के लिए समायोजन, किंतु इन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर माप में शामिल नहीं किया जाता है।	62857.00
4	डेरिवेटिव्स वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	460792.00
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेन के लिए समायोजन (अर्थात रेपो तथा इसी प्रकार के प्रत्याभूत ऋण)	0.00
6	तुलन-पत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर की समतुल्य राशियों का अंतरण)	4622696
7	अन्य समायोजन	-117903.00
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर (स्टेट बैंक समूह)	51093660

डीएफ़-18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

	मद	₹(मिलियन में)
	तुलन पत्र एक्सपोज़र पर	
1	तुलन पत्र मदें (डेरिवेटिव्स तथा एसएफ़टी को छोडकर परंतु संपार्श्विक सहित)	46065218.00
2	(बेसल III, टियर 1 पूंजी निर्धारण के लिए घटाई गई राशियाँ)	-117903.00
3	**कुल तुलन पत्र एक्स्पोज़र (डेरिवेटिव्स तथा एसएफ़टी को छोड़कर) (लाइन 1 व 2 का योग)**	45947315.00
	डेरिवेटिव्स एक्स्पोज़र	
4	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकद अंतर मार्जिन घटाकर)	144086.00
5	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित पीएफ़ई के लिए ऍड-ऑन राशियाँ	316706.00
6	डेरिवेटिव्स संपार्श्विक के लिए सकल प्रावधान, जहाँ परिचालन लेखा ढांचे के अनुसार तुलन पत्र आस्तियों से घटाया गया हो	0
7	(डेरिवेटिव लेनदेन में उपलब्ध नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8	(क्लाइंट-क्लियर्ड ट्रेड एक्स्पोज़र के छूट प्राप्त भाग)	0
9	(लिखित ऋण डेरिवेटिव्स की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि)	0
10	(लिखित ऋण डेरिवेटिव्स की समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट तथा एड-ऑन कटौतियाँ)	0
11	**कुल डेरिवेटिव्स एक्स्पोज़र (लाइन 4 से 10 का योग)**	460792.00
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्स्पोज़र	
12	सकल एसएफ़टी आस्तियाँ (नेटिंग को शामिल किए बिना), बिक्री लेखांकन लेनदेन को समायोजित कर लेने के बाद	62857.00
13	(सकल एसएफ़टी आस्तियों के देय नकद एवं प्राप्य नकद की निवल राशि)	0
14	एसटीएफ़ आस्तियों के सीसीआर एक्स्पोज़र	0
15	एजेंट लेनदेन एक्स्पोज़र	0
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्स्पोज़र (लाइन 12 से 15 का योग)**	62857.00
	अन्य तुलन पत्र इतर एक्स्पोज़र	
17	सकल काल्पनिक राशि पर तुलन पत्र इतर एक्स्पोज़र	10783417.00
18	(ऋण के बराबर राशियों में बदलने के लिए समायोजन)	-6160721.00
19	**तुलन पत्र इतर मदें (लाइन 17 तथा 18 का योग)**	4622696.00

	मद	₹(मिलियन में)
	पूंजी एवं कुल एक्स्पोज़र	
20	**टियर 1 पूंजी**	**2753260.00**
21	**कुल एक्स्पोज़र (पंक्ति 3,11,16 तथा 19 का योग)**	**51093660.00**
	लीवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लीवरेज अनुपात (%) (स्टेट बैंक समूह)**	**5.39%**

डीएफ़-जीआर: समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की संस्थाओं के संबंध में*	
[विदेश स्थित बैंकिंग सस्थाएँ तथा गैर-बैंकिंग संस्थाएँ]	
निम्नलिखित पर सामान्य विवरण	
कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाएँ	समूह की सभी संस्थाओ में अच्छी कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाएँ अपनाई गई हैं।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी संस्थाएँ प्रकटीकरण की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करती हैं।
समूह के भीतर लेनदेन के संबंध में स्वतंत्र कार्य नीति का पालन	वाणिज्यिक शर्तों तथा प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान दोनों मामलों में स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन स्वतंत्र आधार पर किए जाते हैं।
मार्केटिंग, ब्रांडिंग तथा एसबीआई के प्रतीक चिह्न का साझा उपयोग	समूह की किसी भी संस्था ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस तरह से उपयोग नहीं किया है, जिससे जनता में यह संदेश जाए कि साझा विपणन, ब्रांडिंग में उन्हें एसबीआई का निहित समर्थन प्राप्त है।
वित्तीय सहायता का विवरण,# यदि कोई हो	समूह की किसी भी संस्था ने समूह की किसी अन्य संस्था को/से वित्तीय सहायता प्रदान/प्राप्त नहीं की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह जोखिम प्रबंधन नीति के सभी बातों का समूह की सभी संस्थाओं द्वारा दृढ़ता से पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेनों को मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' के रूप में माना जाता है #:

ए) समूह की एक संस्था से दूसरी संस्था में पूंजी या आय का अनुचित अंतरण ;

बी) समूह की संस्थाओं से जिस स्वतन्त्र नीति का पालन करना होता है, उस नीति का उल्लंघन;

सी) समूह के भीतर हर संस्था की चुकौती क्षमता, तरलता, तथा लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;

डी) पूंजी के संबंध में या अन्य विनियामक आवश्यकताओं का पालन न करना;

ई) 'क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज' को लागू न करना जिससे किसी संबंधित संस्था द्वारा की गई चूक (चाहे वित्तीय या अन्य) को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

*शामिल की गई संस्थाएँ:

बिंकिंग- विदेश में	**गैर-बैंकिंग**
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लि.
एसबीआई (मॉरिशस) लिमिटेड	एसबीआई डीएफएचआई लि.
पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्रा. लि.
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को,	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लि.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके)	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा.लि.
	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्यूरिटीज सर्विसेस प्रा. लि.

31 मार्च, 2021 को वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) के निर्धारित संकेतकों पर प्रकटीकरण को “कॉरपोरेट गवर्नेंस” लिंक के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अलग से प्रकट किया गया है।